

मादक पदार्थों की तस्करी

चर्चा में क्यों?

हाल ही में त्रपुरा-मज़ोरम अंतर-राज्यीय सीमा के पास 26 किलोग्राम से अधिक गांजा के साथ दो कथित महिला तस्करों को गरिफ्तार किया गया।


- दोनों महिलाओं पर [स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ \(NDPS\) अधिनियम, 1985](#) के तहत मामला दर्ज किया गया।

मुख्य बटु:

- NDPS अधिनियम, 1985 किसी व्यक्ति को किसी भी मादक औषधि या मनःप्रभावी पदार्थ का उत्पादन, रखने, बेचने, खरीदने, परिवहन करने, भंडारण करने और/या उपभोग करने से रोकता है।
 - NDPS अधिनियम, 1985 के एक प्रावधान के तहत मादक औषधियों के दुरुपयोग पर नियंत्रण के लिये राष्ट्रीय कोष भी बनाया गया था, ताकि अधिनियम के कार्यान्वयन में होने वाले व्यय को पूरा किया जा सके।
- मादक पदार्थों की तस्करी से तात्पर्य अवैध व्यापार से है जिसमें अवैध औषधियों की खेती, निर्माण, वितरण और बिक्री शामिल है।
 - इसमें कोकीन, हेरोइन, मेथामफेटामाइन और सैथेटिक ड्रग्स जैसे मादक औषधियों के उत्पादन के साथ-साथ इन पदार्थों के परिवहन तथा वितरण सहित अवैध ड्रग व्यापार से जुड़ी कई तरह की गतिविधियाँ शामिल हैं।
 - नशीली दवाओं की तस्करी आपराधिक संगठनों के एक जटिल नेटवर्क के भीतर संचालित होती है जो सीमाओं, क्षेत्रों और यहाँ तक कि महाद्वीपों में फैली हुई है।

कैनबसि

Cannabineae.



//

- **वशिव स्वास्थ्य संगठन (WHO)** के अनुसार, कैनबसि एक सामान्य शब्द है जिसका प्रयोग कैनबसि सैटाईवा नामक पादप की कई मनःप्रभावी गुणों को दर्शाने के लिये किया जाता है।
 - WHO के अनुसार, **कैनबसि** वशिव में अब तक की **सबसे व्यापक रूप से खेती, तस्करी और दुरुपयोग की जाने वाली अवैध औषधि** है।
 - कैनबसि की अधिकांश परजातियाँ **द्वलिंगी** पादप हैं जिन्हें नर या मादा पादप के रूप में पहचाना जा सकता है। परागण रहित मादा पौधों को हशीश कहा जाता है।

- कैनबसि में प्रमुख मनःप्रभावी घटक डेल्टा9 टेट्राहाइड्रोकेनाबनोल (THC) है।

PDF Referenece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/drug-trafficking-2>

